

सं. ए-31011/04/2013-सीएलएस-आई

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांकित 3 मार्च, 2014

कार्यालय आदेश सं. 04/2014

विषय: केन्द्रीय श्रम सेवा के जेएजी अधिकारियों की तैनाती / स्थानांतरण

राष्ट्रपति केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के निम्नलिखित जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) के अधिकारियों को पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से रू. 7600/- ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के अनुरूप (रू. 15,600-39,100) में पदोन्नत किए जाने पर जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में सीनियर टाइम स्केल (एसटीएस) में नियुक्त करते हैं, जैसा प्रत्येक के सामने उल्लेख किया गया है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	नियुक्ति का वर्तमान स्थान	नियुक्ति
1.	ए. के. सिंह	डीएलडब्ल्यूसी (के.), ओईएफ, कानपुर	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), इलाहाबाद
2.	ज्ञानेंद्र सिंह	डीएलडब्ल्यूसी (के.), जीआईपी, मिंटो रोड, नई दिल्ली	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर
3.	डी. पी. सिंह	आरएलसी (के.), सीएलसी (के.) मुख्यालय, नई दिल्ली	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मुख्यालय, नई दिल्ली
4.	रूप चंद	आरएलसी (के.) सीएलसी (के.) मुख्यालय, (प्रशिक्षण), नई दिल्ली	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली
5.	एस.के. रॉय	आरएलसी (के.), कोलकाता	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), गुवाहाटी
6.	एम.वी. सुब्बा राव	डीएलडब्ल्यूसी (के.), सीपीडब्ल्यूडी चेन्नई	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद
7.	सतिंदर पाल सिंह	डीएलडब्ल्यूसी (के.), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, चंडीगढ़	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), चंडीगढ़
8.	पी.के. नायक	आरएलसी (के.), रायपुर	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद
9.	ए.के. अग्रवाल	आरएलसी (के.), मुम्बई.	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नागपुर
10.	ए.के. सेन	डीएलडब्ल्यूसी (के.), आरएफ, ईशापुर	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), पटना

11.	एम. सी. शर्मा	आरएलसी (के.), देहरादून	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), देहरादून
12.	डी. रामकृष्ण राव	डीडब्ल्यूसी (के.), कन्नानूर	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), कन्नानूर
13.	डब्ल्यू नरेन्द्र सिंह	डीएलडब्ल्यूसी (के.), कोलकाता	श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता
14.	पी.के. पाणिग्रही	आरएलसी (के.), ओडिशा	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद
15.	उमाकांत दास	आरएलसी (के.), रांची	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद
16.	डी. प्रधान	डीएलडब्ल्यूसी (के.), टीएफ, कोलकाता	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), गुवाहाटी
17.	एम.एल. वर्मा	डीएलडब्ल्यूसी (के.), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (एनडीजेड-V), नई दिल्ली	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), देहरादून
18.	टी. आर. सोंगारा	डीडब्ल्यूसी (के.), इलाहाबाद	श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर
19.	एम. एल. टेलर	डीएलडब्ल्यूसी (के.), 505, एबीडब्ल्यू, दिल्ली कैंट	श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा
20.	एस शेखर	डीएलडब्ल्यूसी (के.), ओएफ, त्रिची	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोचीन
21.	पी. एम. श्रीवास्तव	आरएलसी (के.), हैदराबाद	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर
22.	एस.एस. भोपाले	डीएलडब्ल्यूसी (के.), के, भंडारा	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद
23.	टी. एस सुरेश बाबू	डीएलडब्ल्यूसी (के.), के, अम्बरनाथ	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), तिरुनलवेली
24.	एम. पी. सी. राव	डीएलडब्ल्यूसी (के.), कॉड, जबलपुर	श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), आयुध निर्माणी, मेदाक
25.	पी.के. रथ	आरएलसी (के.), भुवनेश्वर	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल
26.	सुब्रत साहा	आरएलसी (के.), पटना	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), मुजफ्फरपुर

2. अधिकारी वेतन के निर्धारण पर एक वेतन वृद्धि के अनुदान का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि उन्हें वेतन बैंड-3ः, रूपए 15600-39100/- और ग्रेड वेतन रूपए 7600/- के समकक्ष वेतन में गैर- कार्यात्मक उन्नयन पहले ही प्रदान किया जा चुका है।

3. इसके अलावा, निम्नलिखित जेएजी अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती का तत्काल प्रभाव से आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	नियुक्ति का वर्तमान स्थान	नियुक्ति
1.	वाई.वी.एन. चारी	उप सीएलसी (के.), धनबाद	श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), जीटीआरई, बेंगलौर
2.	एल.एन. शर्मा	एलडब्ल्यूसी (के.), ओएफबी, कोलकाता	श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), आयुध कारखाना, अम्बाझारी

4. सभी संबंधित संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि वे अधिकारियों को तत्काल कार्यभार मुक्त कर दें ताकि वे नई तैनाती के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें। संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उनकी तैनाती के संबंधित संगठनों के माध्यम से, शीघ्रातिशीघ्र, अपनी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट के बारे में इस मंत्रालय को सूचित करें। यदि, अधिकारी 30 दिन की अवधि के भीतर अपने पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता, यह मान लिया जाएगा कि वह जेएजी ग्रेड में पदोन्नति लेने का इच्छुक नहीं है और इसके बाद एक वर्ष के लिए वर्तमान वर्ष की रिक्तियों को भरने हेतु पदोन्नति से बाहर कर दिया जाएगा। अधिकारी, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रदान किए जाने वाले गैर कार्यात्मक उन्नयन का लाभ आहिरत करेगा यदि वह पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि उच्चतर ग्रेड में नियमित पदोन्नति के बदले में पूर्व में एनएफयू का लाभ दिया गया था।

5. अधिकारी, संबंधित नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते/कार्यभर ग्रहण करने हेतु समयसीमा के लिए पात्र हैं।

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी करता है।

(बाबू चैरीआन)

भारत सरकार के उप सचिव

टैलीफैक्स: 23753079

वितरण:-

1. संबंधित अधिकारी
2. संबंधित प्रतिष्ठान/संगठन
3. एलईएम के निजी सचिव/राज्य मंत्री(एल एंड ई) के निजी सचिव/सचिव(एल एंड ई) के पीएसओ/एएस(एल एंड ई) के निजी सचिव/डीजीएलडब्ल्यू/संयुक्त सचिव (एपी)
4. सीएलसी(के.)/प्रशासन-1/एसई धारा, सीएलसी(के.), नई दिल्ली कार्यालय
5. निदेशक(सीआर)/डीएस(बीएस)/डीएस(एफ)
6. सीएलएस-11 धारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
7. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइल/कार्यालय आदेश बंडल/अतिरिक्त प्रतियां